

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक : ...3...../जयपुर/...1946-47

यह प्रमाणिकत किया जाता है कि श्री स्वरूप गोविन्द पारीक  
विद्यालय मेने जिंग कमेटी का रजिस्ट्रेशन राजस्थान संस्था  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के  
अन्तर्गत दिनांक 28/9/1946, अठारह सितम्बर उन्नीस सौ को  
किया गया था। द्वियालीस

अब इस संस्थान का नाम परिवर्तित कर एस.एस.जी. पारीक कॉलेज  
एवम् सम्बद्ध शिक्षण संस्थारं, जयपुर  
जिला जयपुर कर दिया गया है। यह परिवर्तन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,  
1958 की धारा 12 के प्रावधानान्तर्गत किया गया है।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से दिनांक 29-7-2019  
को जयपुर में जारी किया गया।



AM  
रजिस्ट्रार (संस्था)  
जयपुर (संस्थारं)  
जयपुर